

मूल वाद में अन्तिम डिक्री व मुकदमें इब्त्दाई

(ऑ. 20 रूल 6-7 जाब्दा दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 112/2023

वाद पत्र अं. धारा 88/53 आर.टी.ए.

मंजू देवी पत्नी सुभाष जाति जाट निवासी भैरूसरी तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़ (राज.)

- वादीया

बनाम्

1. कुलविन्द्र सिंह पुत्र जरनैल सिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. गुरदीप सिंह पुत्र करनैल सिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
3. गुरमीत कौर पत्नि निरजन सिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
4. चरणजीतकौर पुत्री निरजनसिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
5. जगसीर सिंह पुत्री निरजनसिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
6. सुखदेवकौर पत्नि करनैलसिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
7. हरजिन्द्र सिंह पुत्र करनैल सिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
8. हरदीप सिंह पुत्र करनैल सिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
9. चडसिंह पुत्र हरिसिंह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी हरिपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
10. पंजाब नेशनल बैंक शाखा हरिपुरा
11. पंजाब नेशनल बैंक शाखा दीनगढ़
12. राजस्थान मरूधरा ग्रामिण बैंक शाखा हरिपुरा
13. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया।

-प्रतिवादीगण

वाद पत्र अं. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

प्रकरण सं. :-112/2023

लगातार-2-

महायुक्त कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

यह राजस्व मुकदमा आज कास्ते इनफिसाल कसई हमारे बहाजरी श्री राजश बुडानिया वकील बादीगण निम जाभिन मुयई वकील प्रतिवादी से 10 श्री रविन्द्र कुमार, प्रतिवादी से 11 श्री गुरदीन्द्र सिंह जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है व अन्तिम डिक्री से जाती है कि तहसीलदार (राजस्व) संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव क अनुसार निम्न भूमि का निम्न अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किये जाने क आदेश दिव्य जाते है :-

मंजू देवी पत्नी सुभाष जाति जाट निवासी भैरूसरी की कब्जा काश्त (रहन पीएनबी शाखा हरिपुरा) - चक्र 25TP

पं.नं. 188 / 122 (56)
किला नं. 19 / 0.253 है. 21 / 1 / 22 / 1.23 / 1.24 / 1 / 0.228 हैक्ट.प्रत्येक
किला नं. 21 / 2 / 22 / 2.23 / 2.24 / 2 / 0.25 हैक्ट.प्रत्येक
किता 9
रकबा 1.265 हैक्ट.

कुजयेन्द्र सिंह पुत्र जरनैल सिंह (442/3163) जाति कुम्हार निवासी हरिपुरा राहिन पीएनबी हरिपुरा, गुरदीप सिंह पुत्र करनैल सिंह (111/3163) जाति कुम्हार निवासी हरिपुरा राहिन पीएनबी शाखा दीनगढ, गुरभीत कौर पत्नी निरंजन सिंह (148/3163) जाति कुम्हार निवासी हरिपुरा, चड सिंह पुत्र हरिसिंह (442/3163), चरणजीत कौर पुत्री निरंजन सिंह (148/3163), जगसीर सिंह पुत्र निरंजन सिंह (147/3163) जातिगण कुम्हार निवासी हरिपुरा, सुखदेव कौर पत्नी करनैल सिंह (111/1363), हरजिन्द्र सिंह पुत्र करनैल सिंह (111/3163) जातिगण कुम्हार निवासी हरिपुरा राहिनान पीएनबी शाखा दीनगढ, हरदीप सिंह पुत्र करनैल सिंह (111/1363) जाति कुम्हार निवासी हरिपुरा राहिन पीएनबी शाखा हरिपुरा की कब्जा काश्त :- चक्र 25TP

पं.नं. 187 / 123 नु.नं. (66)
किला नं. 4,7,8,14 / 1.012 हैक्ट., 13 / 2 / 0.127 हैक्ट., 5 / 1.6 / 1.15 / 1 / 0.228 हैक्ट.प्रत्येक, 5 / 2.6 / 2.15 / 2 / 0.025 हैक्ट. प्रत्येक
कुल किता 11
रकबा 1.898 हैक्ट.

उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। तहसीलदार भूअ. संगरिया के पत्र क्रमांक 2024/224 दिनांक 29.08.2024 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे।

नोट- यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रित दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामंद कर दिया जावे।

निज निल मुब्लिक निल बाबत निल खर्चा मुकदमें के नय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक अदा करें। बसब नैरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 6.9.2024 जारी किया गया।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया